हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 36

सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1085(स्थगित) तथा तारांकित प्रश्नः 1336, 1341, 1344 व 1346 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1337, 1338, 1340, 1343 तथा 1345 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1339 व 1342 के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1347 से 1369 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 337(स्थगित) तथा 568 से 586 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

मुख्य मन्त्री द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

मुख्य मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (38/2016) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्रधिकरण (कैम्पा) का 9वाँ तथा 10वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 तथा वर्ष 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(iii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिम ऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23; और

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023;

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 42वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइन्ड-ए (ए) 3-5/2023, दिनांक 24.01.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.01.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

   नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा के दौरान किसी डिविजन में ठेकेदार को पेमेंट न होने बारे ज़िक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वे लिखित में बता दें कि किस डिविजन में किस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई है। यदि वास्तव में ही पेमेंट नहीं हुई होगी तो मामले को देख कर पेमेंट कर दी जाएगी।

   (03.10 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. श्री भवानी सिंह पठानिया

(04.00 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(04.10 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

3. श्री सुख राम चौधरी

(04.52 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

4. श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव
5. श्री विनोद कुमार

(05.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

6. श्री किशोरी लाल, मुख्य संसदीय सचिव
7. श्री के0 एल0 ठाकुर
8. श्री सुरेन्द्र शौरी

(06.44 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

9. श्री सुरेश कुमार

माननीय सदस्य द्वारा पॉली हाऊस तथा रोज़गार देने के बारे में श्री विनोद कुमार द्वारा चर्चा के दौरान की गई टिप्पणी का ज़िक्र करने पर माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार ने अपनी बात रखी।

Ruling by the Speaker

"Hon'ble Member Shri Vinod Kumar wanted to intervene only with regard to the polyhouse reference which was made by Mr. Sureshji. So that part of the statement is okay, rest will not be a part of the record."

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान बार-बार विपक्ष को कर्मचारी विरोधी कहने पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य कर्मचारियों के खिलाफ़ नहीं है और

न ही विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के खिलाफ़ कुछ बोला है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार द्वारा दिए गए सम्पूर्ण स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।

Ruling by the Speaker

"I will look into whatever has been said by Hon'ble Leader of Opposition. If required, it will be a part of the record, and if not, then certainly it will not be a part of the record."

(07.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 7.30 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

10. श्री डी0एस0 ठाकुर

(07.30 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.37 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

07.37 बजे सायं सदन की बैठक मंगलवार, 20 मार्च, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।